

मैनुअल संख्या: 10 [धारा 4(1)(ख)(x)]

**उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष/सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी
द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक**

1) सकल मासिक पारिश्रमिक वाले कर्मचारियों की सूची :-

(माह 31 मार्च 2026 के वेतन के अनुरूप)

क्र०	नाम एवं पदनाम	वेतन लेवल	वर्तमान सकल वेतन (रु०)
1.	श्री मदन लाल प्रसाद# अध्यक्ष	18	2,64,227.00
2.	श्री अनुराग शर्मा, सदस्य (विधि)	17	3,95,000.00
3.	श्री प्रभात किशोर डिमरी सदस्य (तकनीकी)	17	3,83,000.00
4.	श्री नीरज सती, सचिव	16	4,49,009.00
5.	श्री दीपक पाण्डे, निदेशक (वित्त)	15	3,89,133.00
6.	श्री यशवर्द्धन डिमरी, निदेशक (तकनीकी)	13-A	2,62,897.00
7.	श्री गौरव सभरवाल, संयुक्त निदेशक (वित्त/टैरिफ)	12	1,78,531.00
8.	श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, उप निदेशक (आईटी0)	12	2,31,163.00
9.	श्री दीपक कुमार, उप निदेशक (प्रशासन)	11	1,83,134.00
10.	श्री राधेश्याम बेलवाल, उप निदेशक (लेखा)	11	1,77,931.00
11.	श्री गौरव लोहनी, उप निदेशक (टैरिफ)	11	1,63,322.00
12.	श्री अभिषेक पाण्डे, उप निदेशक (तकनीकी)	11	1,45,712.00

13.	श्री प्रवीन कुमार, लेखाधिकारी	10	1,40,308.00
14.	श्री शिवांकु भट्ट, सहायक निदेशक (विधि)	10	1,40,308.00
15.	श्री विनीत मल्ल, सहायक निदेशक (कॉस्टिंग / लाईसेंसिंग)	10	1,32,504.00
16.	श्रीमती निधि गोयल, निजी सचिव	10	1,57,118.00
17.	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, निजी सचिव	10	1,57,118.00
18.	श्रीमती रूपरानी मौर्य, निजी सचिव	10	1,52,716.00
19.	श्री प्रकाश पन्त, अपर निजी सचिव	08	1,31,601.00
20.	श्री शैलेन्द्र भट्टाला, अपर निजी सचिव	08	1,31,601.00
21.	श्री सन्तोष द्विवेदी अपर निजी सचिव	08	1,10,588.00
22.	श्री राजेन्द्र सिंह अपर निजी सचिव	08	1,24,436.00
23.	श्री ओम प्रकाश पन्त, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	08	1,27,799.00
24.	श्री वेद प्रकाश डिमरी, प्रशासनिक अधिकारी	07	1,07,646.00
25.	श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, वाहन चालक	05	84,962.00
26.	श्री चन्द्रशेखर, वाहन चालक	05	84,962.00
27.	श्री पुष्कर दत्त पाठक, वाहन चालक	05	85,152.00

पेंशन घटाकर तथा पेंशन पर महंगाई भत्ता।

क्र०सं० 01, 02 व 03 में अंशदायी भविष्य निधि (CPF) (नियोक्ता का अंशदान) सम्मिलित है।

क्र०सं० 04 से 26 में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) (नियोक्ता का अंशदान) सम्मिलित है।

(2) मुआवजे की प्रणाली जैसाकि इसके नियमों में प्रदान किया गया है :-

यह बिन्दु आयोग पर लागू नहीं होता है।